उनवान सरकार बनाम ....

हुक्म की
में जारी

मुकदमा नं० .... निर्णय दि०...............

28 2/22 पत्रावली पेश हुई। वकीलो द्वारा कार्य स्थगन/P.O. मा. राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनाँक 2.3.22 को पेश हो।

अगवान सहा० लि०

2.3.22 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप० / साक्ष्य

अहलमीदेवी — प्रतिवादी से जिरह की जा चुकी है। शेष साक्ष्य जिरह हेतु उप० नहीं। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14.3.22 को पेश हो।

14.3.22 पत्रावली बहस हेतु पेश। उभयपक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि. 15.3.22 को पेश हो।

15.3.22 पत्रावली निर्णय हेतु पेश। वाद के तथ्यों व उभय पक्ष की बहस पर गौर किया गया।

वाद अनुसार वादीगण ग्राम गढ के, वाद की मद सं. 1 में वर्णित भूमि के खातेदार हैं। वादीगण 2003 में सहमति बंटवारे अनुसार तरमीम व रिकार्ड की स्थिति को बहाल करवाना चाहते हैं जो तथाकथित रूप से भू-प्रबंध विभाग द्वारा मौका स्थिति के विपरीत परिवर्तित कर दी गयी है। वाद के साथ 2003 में तहसीलदार द्वारा किये गये सहमति विभाजन की सम्पूर्ण पत्रावली संलग्न की गयी है।

प्रतिवादी पक्ष का तर्क रहा कि भू-प्रबंध विभाग द्वारा मौका स्थिति के अनुसार ही नक्शाट्रेस में तरमीम की गयी है।

8.12.21 को 4 तनकीयां कायम कर विवेचित की गयी।

वाद में Key issue यह है कि तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार किये गये विभाजन व नक्शा ट्रेस को भू-प्रबंध विभाग संशोधित कर सकता है अथवा नहीं तथा क्या मौका स्थिति(आज की) सहमति विभाजन के नक्शा ट्रेस के अनुसार है अथवा नहीं?

उभय पक्षों की साक्ष्यों व कथनों से स्पष्ट है कि मौका स्थिति सहमति अनुसार ही है तथा भू-प्रबंध विभाजन को सहमति विभाजन की स्थिति को बदलने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है।

अतः भू-प्रबंध विभाग की नक्शाट्रेस व अभिलेख में की गयी तरमीम/परिवर्तन को निरस्त करते हुये तहसीलदार जहाजपुर को आदेशित किया जाता है कि वो सहमति विभाजन 2003 अनुसार नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड आवश्यक संशोधन करे। मुताबिक आदेश डिक्री व तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो।

(रणजीत सिंह)
15.3.22